

मद सं0 नौएडा महायोजना-2021 को वर्ष 2031 के लिए संशोधित करते हुए तैयार किये गये संशोधित महायोजना (प्रारूप) की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

1. उ0 प्र0 शासन द्वारा नौएडा महायोजना - 2021 का प्रारूप दिनांक 31.8.2006 को शासनादेश सं0 5109/77-4-06-23एन/2000 द्वारा अनुमोदित किया गया था । इस महायोजना में नौएडा के लिए वर्ष-2021 तक 12 लाख जनसंख्या का निर्धारण करते हुए विभिन्न क्रियाओं के लिए भू-उपयोग के अन्तर्गत भूमि का नियोजन किया गया था । नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 20316 हेक्टेअर है । नौएडा उत्तर में दिल्ली एवं गाजियाबाद के नगरीय क्षेत्र से, पश्चिम में यमुना नदी क्षेत्र से, पूर्व में हिन्दन नदी क्षेत्र तथा दक्षिण में यमुना-हिण्डन नदी के संगम क्षेत्र से घिरा हुआ है । इसके भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि की संभावना नहीं है । नौएडा के पश्चिम तथा पूर्व में क्रमशः यमुना नदी तथा हिण्डन नदी क्षेत्रों के तटबन्ध है । नौएडा महायोजना-2021 में प्रमुखतः उक्त दोनों तटबन्धों के मध्य के क्षेत्र को नगरीयकरण के लिए नियोजित किया गया था । आंशिक भाग में तटबन्धों के बाहर भी मार्ग के संरेखन के सन्दर्भ में नियोजन प्रस्तावित किया गया था । उक्त महायोजना में लगभग 14964 हेक्टे0 भूमि पर नगरीकरण के प्रस्ताव सम्मिलित है, जिसमें सकल जनसंख्या घनत्व 80 व्यक्ति प्रति हेक्टे0 रखा गया है । महानगरीय क्षेत्रों को सामान्यतः लगभग 150 से 200 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर सकल जनसंख्या घनत्व के आधार पर नियोजित किया जाता है, जिससे कि नगरीय भूमि का समुचित उपयोग किया जा सके । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा भी नौएडा महायोजना-2021 में प्रस्तावित उक्त सकल जनसंख्या घनत्व को कम मानते हुए इसमें वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है । नौएडा का विकास प्रारम्भ में प्रमुखतः एक औद्योगिक नगरीय क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें औद्योगिक क्रियाओं के साथ - साथ अन्य संस्थागत, व्यवसायिक, आवासीय तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएँ भी तदनुसार प्रस्तावित की गयी थी । परन्तु कालान्तर में नौएडा की दिल्ली से समीपता, नौएडा टोल ब्रीज का निर्माण, नौएडा - ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेसवे का निर्माण, ग्रेटर नौएडा का विकास, आस-पास के अन्य नगरीय क्षेत्रों में नगरीयकरण का तीव्र विकास, नौएडा में मेट्रो लाइन का निर्माण, नौएडा-ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में कई एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित निर्माण, मुम्बई-दिल्ली फ्रेट कोरीडोर का प्रस्तावित निर्माण आदि योजनाओं के सन्दर्भ में नौएडा में विकास की सम्भावनाएँ तथा आवासीय सुविधाओं की माँग में वृद्धि हुई है । दिल्ली में सम्पत्ति के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण भी नौएडा में आवासीय, कार्यालय तथा व्यवसायिक सम्पत्ति की माँग में वृद्धि हुई है ।

2. नगरीय नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें नगरीय भूमि का यथेष्ट उपयोग करने के लिए यथावश्यकतानुसार नगरीय क्षेत्रों की विकास योजनाओं में संशोधन किये जाते हैं। उपरोक्त सन्दर्भ में कम जनसंख्या घनत्व तथा विकास क्रियाओं के स्वरूप में संशोधन करने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा 149वीं बोर्ड बैठक दिनांक 8.4.2008 की (अनुपूरक मद सं 0 4) में नौएडा महायोजना-2021 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में महायोजना संशोधन का कार्य एन.सी.आर., नियोजन कार्यालय, गाजियाबाद को दिया गया। इसके साथ-साथ नौएडा प्राधिकरण द्वारा विगत वर्षों में उपलब्ध सीमित भूमि का समुचित उपयोग करने, नौएडा में जनसामान्य को यथासम्भव कम दरों पर आवासीय सुविधाओं तथा कार्य स्थलों के निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा नौएडा में निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न नीतिगत निर्णय लिये गये, विकास एवं निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मानकों व उपविधियों में परिवर्तन किये गये तथा यथावश्यकतानुसार भू-उपयोग में परिवर्तन भी किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा नौएडा के विभिन्न सैक्टर्स में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि करते हुए ग्रुप हाऊसिंग के लिए भूखण्डों का नियोजन करने का निर्णय लिया गया। नये अविकसित एवं विकासशील आवासीय सैक्टर्स में अधिकांशतः ग्रुप हाऊसिंग के लिए बड़े भूखण्ड नियोजित किये गये तथा इन भूखण्डों में एफ.ए.आर. को 2.75 तथा जनसंख्या घनत्व को 1650 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर तक निर्धारित करते हुए भूखण्डों का आवंटन किया गया। विगत दो वर्षों में लगभग 397 हेक्टेअर भूमि इस प्रकार के ग्रुप हाऊसिंग भूखण्डों के लिए नियोजित की गयी है। इससे उपलब्ध आवासीय भूमि का यथासम्भव समुचित उपयोग होगा तथा सकल जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि होगी। नौएडा महायोजना में संशोधन के सम्बन्ध में पुनः एक विस्तृत प्रस्ताव प्राधिकरण की 167वीं बैठक दिनांक 28.4.2010 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें सैटेलाईट इमेज के आधार पर नौएडा के आधार मानचित्र को तैयार करने तथा नौएडा महायोजना में संशोधन करने के लिए मुख्य वास्तुविद नियोजक, नौएडा की अध्यक्षता में प्राधिकरण, एन.सी.आर. नियोजन कार्यालय तथा प्रदेश के नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग के नगर नियोजन अधिकारियों की एक तकनीकी समिति गठित की गयी तथा उक्त समिति द्वारा तैयार की गयी संशोधित महायोजना-प्रारूप पर विचार करने के लिए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा की अध्यक्षता में प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की एक अन्य समिति का गठन किया गया। उक्त दोनों समितियों द्वारा दो बार बैठक आयोजित कर महायोजना के संशोधित प्रारूप पर सविस्तार विचार-विमर्श किया गया तथा विभिन्न पहलुओं पर विचार कर नौएडा के समग्र विकास हेतु वर्ष-2031 के लिए नौएडा महायोजना का संशोधित प्रारूप प्रस्तावित किया गया है।

3. नौएडा महायोजना के लिए आधार मानचित्र दिसम्बर -2009 की Quick Bird Satellite Image के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें स्थल पर विकास एवं निर्माण की वास्तविक स्थिति दर्शायी गयी है। प्राधिकरण के अभियन्त्रण खण्डों द्वारा इसका भौतिक सत्यापन भी कराया गया है तथा तदनुसार अद्यतन भौतिक स्थिति के आधार पर आधार मानचित्र को अन्तिम रूप दिया गया है। नौएडा का विकास क्षेत्र सीमित है। इसमें प्रमुखतः नदी तटबन्धों के मध्य क्षेत्र में नगरीय क्रियाओं के लिए नियोजन किया गया है। यद्यपि वर्तमान महायोजना को वर्ष-2031 के लिए संशोधित किया जाना प्रस्तावित है तथापि भौतिक विकास की रूप रेखा दीर्घकालीन विकास को दृष्टिगत रखते हुए ही प्रस्तावित की गयी है, जिसमें समय समय पर यथावश्यकतानुसार आंशिक रूप से ही संशोधन किये जा सकेंगे। वर्ष-2031 के लिए जनसंख्या का आंकलन करने के लिए विभिन्न पद्धतियों पर विचार किया गया, परन्तु समिति द्वारा नौएडा में हुए वास्तविक विकास तथा पूर्व में नियोजित विकास की स्थिति के सन्दर्भ में ही जनसंख्या का आंकलन करना सर्वाधिक व्यवहारिक माना गया। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आयवर्गों के लिए निर्मित 34507, आवासीय भवनों, लगभग 28087 विकसित किये गये आवासीय भूखण्डों, 1025.45 हेक्टेअर आवंटित ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड, एस.ई.जैड., यमुना एक्सप्रेसवे योजना के सापेक्ष आवंटित भूमि तथा ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संभावित आवासीय इकाईयों के आधार पर जनसंख्या का आंकलन किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 2031 तक नौएडा में लगभग 25 लाख जनसंख्या संभावित है।
4. इस प्रकार वर्ष - 2031 के लिए संभावित लगभग 25 लाख(पच्चीस लाख) जनसंख्या को नौएडा की कुल जनसंख्या के रूप में देखा जा सकता है। नौएडा की भौतिक स्थिति के दृष्टिगत इससे अधिक जनसंख्या का आवासन व्यवहारिक नहीं होगा। उक्त जनसंख्या के आधार पर सकल जनसंख्या घनत्व 164 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर है जोकि महानगरीय क्षेत्रों के लिए सामान्य मानकों के अनुरूप है। उक्त सन्दर्भ में पुराने एवं विकसित सैक्टर्स में जनसंख्या घनत्व में आंशिक वृद्धि प्रस्तावित की गयी है। इन सैक्टर्स में जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति हेक्टे0 तक था, जिसे अब बढ़ाकर 500 व्यक्ति प्रति हेक्टे0 तक किया जाना प्रस्तावित है। नये अविकसित एवं विकासशील सैक्टर्स में लगभग 900 हेक्टे0 भूमि को उच्च जनसंख्या घनत्व अर्थात 500 व्यक्ति प्रति हेक्टे0 से अधिक के लिए नियोजित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इन सैक्टर्स में प्राधिकरण द्वारा विगत दो वर्ष में ही लगभग 397 हेक्टेअर भूमि में भूखण्ड स्तर पर 1650 व्यक्ति प्रति हेक्टे0 तक जनसंख्या घनत्व निर्धारित करते हुए भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। लगभग समस्त उपलब्ध आवासीय भूमि का आवंटन हो चुका है अथवा योजना प्रकाशित की जा चुकी है। भूखण्ड स्तर पर जनसंख्या घनत्व को 1650 व्यक्ति प्रति हेक्टेअर सीमा के अन्तर्गत यथावश्यकतानुसार निर्धारित करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व तथा अन्य निर्माण क्रियाओं के दृष्टिगत अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवाओं में भी वृद्धि, विस्तार एवं सुदृढीकरण करना प्रस्तावित किया गया है। अभिन्न विभाग द्वारा इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार कराये जाने का प्रस्ताव है, जिससे कि भावी आवश्यकताओं के अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं एवं सेवाओं का विस्तार एवं विकास किया जा सके।

5. प्राधिकरण द्वारा नौएडा महायोजना - 2021 में संशोधन करने हेतु लिए गये निर्णय के क्रम में महायोजना में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं, जिनमें अधिकांशतः विगत वर्षों में प्राधिकरण एवं शासन द्वारा अनुमोदित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावों को समायोजित किया गया है, भूमि की उपलब्धता के सन्दर्भ में कुछ क्षेत्रों में मार्गों के संरेखन में संशोधन तथा तदनुसार उन सेक्टरस (यथा-सैक्टर-63, 128, 131, 133, 134 आदि) की सीमा में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। एक्सप्रेस-वे पर टोल प्लाजा एवं मेट्रो कोरीडोर का निर्धारण किया गया है तथा पश्चिम में यमुना तटबन्ध के साथ दिल्ली की ओर जाने के लिए रेलवे लाइन के संरेखन एवं स्टेशन के लिए भूमि का पुर्ननिर्धारण किया गया है। यथावश्यकतानुसार बड़े विद्युत केन्द्रों, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तथा अवशिष्ट निस्तारण हेतु भूमि चिन्हित की गयी है। हेलीपैड के निर्माण को विभिन्न भू-उपयोगों में अनुमन्य करते हुए हेलीपोर्ट के लिए निर्धारित भूमि का पुर्ननियोजन किया गया है।
6. वर्ष - 2006 में शासन द्वारा अनुमोदित नौएडा महायोजना-2021 में प्रस्तावित भू-उपयोग वितरण तथा संशोधित प्रारूप में प्रस्तावित भू-उपयोग वितरण का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:-

S. No.	Land Use Category	Proposed for 2031		As Approved in 2006	
		Area in Hac.	%	Area in Hac.	%
1	Residential	5653.60	37.01	5334.00	35.65
2	Commercial	578.59	3.79	564.00	3.77
3	Industrial	2806.52	18.37	3001.00	20.05
4	Public & Semi-public Facilities	1376.20	9.01	1219.00	8.15
5	Recreational	2289.66	14.99	1513.00	10.12
6	Transportation	1941.92	12.71	2211.00	14.78
7	Agriculture/Water Body	629.35	4.12	1122.00	7.50
	Total	15275.84	100.00	14964.00	100.00

वर्ष-2031 के लिए लगभग 15276 हेक्टेअर भूमि में नगरीय क्रियाएँ प्रस्तावित की गयी है । नौएडा का कुल क्षेत्रफल लगभग 20316 हेक्टेअर है, जिसमें से लगभग 25 प्रतिशत भाग को नदी तटीय क्षेत्र के विकास हेतु नगरीय क्रियाओं से अलग रखा गया है । इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्यरूप से हरित क्षेत्र ही रहेगा । प्रस्तावित नगरीयकरण क्षेत्र के अन्तर्गत भी मनोरंजन हरित क्षेत्र में वृद्धि प्रस्तावित की गयी है तथा यथासम्भव सभी क्षेत्रों में इसका प्रस्ताव किया गया है । प्राधिकरण द्वारा डी0एन0डी0 एवं यमुना तटबन्ध के मध्य में शनि मन्दिर के समीप उपलब्ध कुछ भूमि पर संस्थागत तथा वाणिज्यिक भू-उपयोग निर्धारित करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु इस क्षेत्र की भौतिक स्थिति के दृष्टिगत पर्यावरणीय अध्ययन एवं विश्लेषण के उपरान्त ही इसमें इन क्रियाओं के लिए भू-उपयोग का निर्धारण करने पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा ।

7. नौएडा महायोजना-2021 में 7 प्रमुख भू-उपयोग जोन प्रस्तावित की गये थे, जिनके अन्दर 33 सब-जोन प्रस्तावित थे । इन सब-जोन में वस्तुतः अनेक प्रमुख क्रियाएँ हैं, जिन्हे भू-उपयोग सब-जोन के रूप में रखना व्यवहारिक व आवश्यक नहीं है । इसी सन्दर्भ में भू-उपयोग के अन्तर्गत सब-जोन(उप-श्रेणीयों) को कम किया गया है तथा इन्हे अधिक सरल एवं व्यवहारिक बनाया गया है । यही पद्यति आवास विभाग द्वारा प्राधिकरण क्षेत्रों की महायोजनाओं के लिए भी अपनायी जा रही है । अब 15 सब-जोन प्रस्तावित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है:-

S. No.	Category	S. No.	Category
1	Residential (Medium Density Below 500 PPH)	10	Green Belt
2	Residential (High Density Above 500 PPH)	11	Transportation
3	Village Abadi	12	Industrial
4	Commercial	13	NEPZ / EPZ
5	Whole Sale / Warehousing/Mandi	14	Agriculture
6	Institutional	15	River Front Development Zone
7	Facility and Utilities		
8	Recreational / park / Green		
9	Public Park and Play Ground		

निर्धारित भू-उपयोग के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता के लिए जोनिंग रेगुलेशन्स तैयार किये गये हैं । इसमें यथा सम्भव अधिकाधिक क्रियाओं का स्पष्टतः वर्गीकरण करते हुए उन क्रियाओं को विभिन्न जोन्स में अनुमन्य करने की पद्यति को यथासम्भव सरल एवं स्पष्ट रूप से एक Zoning Regulation Matrix के रूप में प्रस्तावित किया गया है ।

8. महायोजना में कतिपय अन्य प्राविधान सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:-

8.1 मिश्रित भू-उपयोग:-

नौएडा में सामान्यतः पूरे सैक्टर का एक भू-उपयोग निर्धारित कर नियोजित करने की पद्धति अपनायी गयी है। प्रधान भू-उपयोग के अनुसार सेक्टर का विन्यास मानचित्र तैयार किया जाता है तथा इसमें कुछ भूखण्ड अन्य क्रियाओं के लिए नियोजित किये जाते हैं। वर्तमान में विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न क्रियाओं को एक साथ ही मिश्रित भू-उपयोग के रूप में नियोजित करने की पद्धति अपनायी जा रही है। मिश्रित भू-उपयोग के लिए नियोजित भूखण्ड/क्षेत्र में संस्थागत अथवा व्यवसायिक क्रियाओं के साथ-साथ आवास की सुविधा भी एक साथ ही विकसित की जा सकती है। इस प्रकार की पद्धति से भूमि का समुचित उपयोग किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा आवासीय एवं संस्थागत सैक्टर्स में बड़े अनावटित व उपलब्ध भूखण्डों को मिश्रित भू-उपयोग के लिए चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे भूखण्ड पर अनुमन्य प्रधान भू-उपयोग यथा - संस्थागत अथवा आवासीय (ग्रुप हाउसिंग सहित) के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन एवं एफ0ए0आर0 सीमा के अन्तर्गत आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थागत क्रियाओं को मिश्रित रूप में अनुमन्य किया जा सकता है। क्रियाओं के प्रस्तावित मिश्रण के आधार पर भूखण्ड का मूल्य, आवंटन की प्रक्रिया, आर्किटेक्चरल कन्ट्रोल व अन्य मानक निर्धारित करते हुए भूखण्डों का निस्तारण किया जा सकता है।

8.2 मनोरंजन (Recreational) भू-उपयोग:-

प्राधिकरण द्वारा मनोरंजन भू-उपयोग के अन्तर्गत नगर स्तर पर Recreation park / green, park and play ground तथा ग्रीन बेल्ट के लिए भूमि नियोजित की गयी है तथा इन भू-उपयोग परिक्षेत्रों में विभिन्न क्रियायें अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इन क्रियाओं के लिए भवन विनियमावली के अन्तर्गत अलग भू-आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 निर्धारित है तथा ये क्रियाएँ अन्य भू-उपयोग जोन में भी अनुमन्य की जा सकती हैं। प्राधिकरण द्वारा रिक्रेशनल पार्क / ग्रीन के अन्तर्गत नियोजित क्षेत्रों में स्पोर्ट फेसिलिटी (Sport Facility) से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए योजना की प्रकृति एवं विशेषता तथा भवन विनियमावली के आलोक में अधिकतम भू-आच्छादन तथा एफ0ए0आर0 निर्धारित किये जायेंगे। ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत नियोजित क्षेत्रों में अनुमन्य क्रियाओं के लिए अधिकतम भू-आच्छादन 2 प्रतिशत तथा दो मंजलीय भवन का निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है। सैक्टर स्तर पर नियोजित पार्क / प्ले ग्राउन्ड / खुला क्षेत्र / ग्रीन बेल्ट में अपरिहार्य परिस्थिति में ही पब्लिक यूटीलिटीज (Public Utilities) अनुमन्य की जा सकती है परन्तु इनके लिए पार्क की कुल भूमि के अधिकतम 2 प्रतिशत भाग के ऊपर ही एक मंजलीय निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है।

8.3 प्रमुख क्रियाओं (Use Premises) के अन्तर्गत सपोर्ट फेसिलिटी (Support Facilities) अनुमन्य करना -

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कतिपय सपोर्ट फेसिलिटी अनुमन्य की गयी है। विभिन्न प्रमुख क्रियाओं में अनुमन्य की जाने वाली सपोर्ट फेसिलिटी का प्रारूप प्रस्तावित किया गया है। भूखण्ड पर अनुमन्य एफ0ए0आर0 का 10 से 25 प्रतिशत भाग सपोर्ट फेसिलिटी (Support Facilities) के अन्तर्गत उपयोग करने के लिए क्षेत्र तथा सपोर्ट फेसिलिटी (Support Facilities) का निर्धारण प्राधिकरण द्वारा योजना के आकार एवं प्रकृति के सन्दर्भ में किया जा सकता है।

8.4 नदी तटीय क्षेत्र:-

नौएडा में यमुना एवं हिंडन नदियों के तटबन्धों तथा नदियों के मध्य क्षेत्र में काफी भूमि उपलब्ध है, जिसका उपयोग अधिकांशतः कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। नौएडा के इन क्षेत्रों में अभी तक किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा विकास अनुमन्य नहीं है। इस क्षेत्र में भी नियोजित रूप से नदियों के तटीय क्षेत्र की विकास परियोजनाएँ तैयार की जा सकती हैं तथा इन परियोजनाओं में यथा आवश्यकता अनुसार कतिपय क्रियाओं के लिए परियोजना क्षेत्र के एक प्रतिशत भाग में सुविधाओं एवं सेवाओं का निर्माण अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा नदीय तट विकास हेतु अलग से विस्तृत पर्यावरणीय अध्ययन के आधार पर योजनाएँ तैयार की जायेगी, जिनमें मनोरंजन क्रियाएँ, पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएँ तथा पब्लिक यूटीलिटीज के लिए प्राविधान किये जा सकते हैं।

समिति द्वारा नौएडा महायोजना-2021 में उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए नौएडा महायोजना - 2031 (मानचित्र तथा अन्य विवरण) के प्रारूप को प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने की संस्तुति की गयी है। इस प्रस्तावित प्रारूप के सम्बन्ध में नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना एवं अन्तिम रूप देना) विनियमावली-1991 यथा संशोधित-2010 के प्राविधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।